

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड, भोपाल

संसोधित अधिसूचना

भोपाल दिनांक ... 21... / 10 / 2021

समस्त छात्र-छात्राओं एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यगणों को सूचित किया जाता है कि म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 1169/234/आवशि/शा-5अ/2021 दिनांक 30/09/2021 के द्वारा जारी सामान्य पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं एवं 1810/167/आवशि/सम्बद्धता/21 दिनांक 30/09/2021 के द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) में प्रवेश समय सारणी के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निम्नानुसार विधि एवं शुल्क देय होगा -

स0कमांक	दिनांक का विवरण	सामान्य शुल्क	विलम्ब शुल्क	कुल राशि
01	31/10/2021 तक	रुपये 300/-	-	रुपये 300/-
02	01/11/2021 से 15/11/2021 तक	रुपये 300/-	-	रुपये 300/-
03	16/11/2021 से 30/11/2021 तक	रुपये 300/-	-	रुपये 600/-
04	01/12/2021 से परीक्षा पूर्व तक	रुपये 300/-	-	रुपये 900/-
पात्रता प्रमाण पत्र का आवेदन विधि0 की वेबसाइट www.bubhupal.ac.in पर आन लाईन भरना होगा।		रुपये 300/-	रुपये 1000/-	रुपये 1300/-

समस्त दस्तावेज मातहत द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है, तत्पश्चात् इसकी हार्डकॉपी (Hard Copy) के साथ अपने मूल प्रमाण पत्र, पात्रता शाखा में विधि0 में जमा न करने पर जमा करने की दिनांक पर जो भी विलम्ब शुल्क चल रहा होगा, वह देय होगा।

नोट- 1. पात्रता आवेदन पत्र के साथ आर्काइव महाविद्यालय का पत्र एवं 10 वीं, 12 वीं तथा स्नातक प्रार की अकसूची लगाना अनिवार्य है।
2. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आर्.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड से गुजरा बोर्ड (Open Board) एम.पी.बोर्ड/पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये किसी भी विश्वविद्यालय से

पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल सहित म.प्र. के समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालयों उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र से छूट रहेगी। अन्य राज्यों से 12वीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को निम्नानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय